भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संसदीय सरकार की उपयोगिता

डॉ० जगबीर सिंह

सहायक प्राध्यापक, राजनीतिक विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, जुलाना (हरियाणा)

शोध आलेख सार

भारत विश्व का विशाल संसदीय लोकतंत्र राष्ट्र है। सरकार के विभिन्न स्वरूपों में संसदीय लोकतंत्र सबसे मर्यादित एवं प्रतिष्ठित है। यह एक शासन की पद्धति न होकर एक सार्थक जीवन पद्धति भी है। लेकिन आज भारत में संसदीय लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं जो उसके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा रही हैं। आज संसदीय लोकतंत्र के वास्तविक आदर्शों, समानता एवं भ्रातृत्व का समाज में तीव्रता से लोप होता जा रहा है। इसके स्थान पर जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद, नैतिकता का अभाव, अपराधीकरण आदि प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में हम सफल संसदीय लोकतंत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करना अपरिहार्य हो गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में ससंदीय प्रणाली की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है।

मूल शब्दः संसदीय लोकतंत्र, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद, अपराधीकरण।

भूमिका

वस्तुतः संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाए हुये हमें एक लम्बा समय हो गया है। शासन प्रणाली की यह सुदीर्घ यात्रा दर्शाती है कि यह प्रणाली अनेक अच्छाईयों एवं बुराईयों के बावजूद हमारे लिए सामान्तयः अनुकूल हो रही है। आजादी से पूर्व भारत पर अंग्रेजों का शासन था। एक लम्बे संघर्ष के पश्चात् 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ जिसमें वर्तमान संसदीय लोकतंत्र का श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है। उन्होंने कठोर परिश्रम किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत के लिए संसदीय व्यवस्था ही उत्तम है।

आज भारत को स्वतंत्र हुए 74 वर्ष बीत चुके हैं तथा 1947 से ही संसदीय ढांचे की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का निरन्तर संचालन हो रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया तथ अफ्रीका में स्थापित अनेक देशों में लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्थाएं रेत पर खड़े भवन की भांति ढह चुकी हैं, परन्तु भारत में यह व्यवस्था निरन्तर, अनवरत रूप से बनी हुई है। अशिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन, धर्म भाषा एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं, असन्तुलित क्षेत्रीय विकास, अंग्रेजी विरासत से प्राप्त प्रशासनिक ढांचे के बावजूद लोकतंत्र की राह पर चलते हुए अर्धशताब्दी का सफर तय करना संतोशजनक विषय है किन्तु सफलता एवं निश्चिंतता का नहीं।

संसदीय लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सरकार संसद के सदस्यों से निर्मित होती है। यह संसद में बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती है जो विधि निर्माण का कार्य करती है और जनहित से सम्बन्धित महत्वूपर्ण विषयों पर निर्णय लेती है। इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का सर्वोच्च गरिमामय स्थल संसद होता है।

संसदीय सरकार का आशय उस शासन पद्धति से है जहां संसद सर्वोच्च हो और कार्यपालिका उसके अधीन हो। संसद विधि-निर्माण की सर्वोच्च संस्था हो तथा कार्यपालिका के समस्त सदस्य विधानमण्डल के भी सदस्य हों और कार्यपालिका केवल तभी तक कार्यरत रहे तब तक उसे संसद का विश्वासमत प्राप्त हो। अविश्वास का प्रस्ताव पारित होते ही अथवा कार्यपालिका के किसी भी कार्य पर सम्पूर्ण सदन मे बहुमत का विरोध होते ही कार्यपालिका पद-त्याग दे। इस प्रकार संसदीय सरकार में उत्तरदायित्व का सिद्धान्त, कार्यपालिका से प्रश्नोत्तर का अधिकार, स्थगन प्रस्ताव, वाद-विवाद, जांच आयोगों की स्थापना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करना तथा वित्तिय नियन्त्रण आदि वे अमोघ शस्त्र हैं जिनके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर समग्र नियन्त्रण रख सकती है।

भारत में संसदीय सरकार

भारतीय शासन प्रणाली के सन्दर्भ में यदि हम संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो यह बात दृष्टिगोचर होती है कि यहां की सरकार अपने स्वरूप में संसदीय प्रणाली की मर्यादाओं का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करती है। इसलिए भारत में सरकार को संसदीय प्रणाली की सरकार कहना सर्वथा उचित है। भारत में संसदीय सरकार होने के पुष्टि निम्न बातों से हो जाती है:-

- भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का संवैधानिक मुखिया है, जबकि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् वास्तविक शासक है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 74 इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है कि शासन की समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद् में निहित हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह से ही करता है। परन्तु यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति